हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 90

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015/9 अग्रहायण, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 02.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने में मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को सदन में नियमों की परिधि में रह कर अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर पूर्णतः दें।

इससे पूर्व की आज की कार्यवाही आरम्भ करें मेरा सभा मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(राष्ट्रीय गान गाया गया)

02.05 .00 PM

1. **शोकोद्गारः**

निम्नलिखित ने श्री लज्जा राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किएः-

1. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मंत्री
2. प्रो० प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री जी० एस० बाली, मा० खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री
4. श्री कौल सिंह, मा० स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
5. डॉ० राजीव बिंदल
6. श्री कुलदीप कुमार
7. श्री महेश्वर सिंह
8. श्रीमती विद्या स्टोक्स, मा० सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री
9. डॉ० राजीव सैजल
10. श्री गोविन्द राम शर्मा
11. श्री सुरेश भारद्वाज
12. श्री राम कुमार
13. श्री कृष्ण लाल ठाकुर
14. श्री धनी राम शांडिल, मा० सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
15. माननीय अध्यक्ष महोदय

(**दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया**)

प्रश्न काल आरम्भ होते ही डॉ० राजीव बिन्दल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को नियम-67 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। सदन के नेता पर परावर्तन निदेशालय (E.D.) द्वारा की गई कार्रवाई चिंताजनक है जो एक महत्वपूर्ण तथा जनहित से जुड़ा विषय है। इसलिए बाकी सारे कार्यों को छोड़कर इस पर सर्वप्रथम चर्चा करवाई जाए। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहाः-

मुझे आज दिनांक 30-11-2015 को 12.00 बजे अपराह्न नियम-67 के अन्तर्गत माननीय प्रो० प्रेम कुमार धूमल, डॉ० राजीव बिन्दल, श्री रणधीर शर्मा, श्री सुरेश भारद्वाज व अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 69(8) के अन्तर्गत चर्चा हेतु नहीं ली जा सकती है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री रविन्द्र सिंह रवि, माननीय सदस्य से नियम-67 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव जो कि प्रदेश के विकासात्मक कार्यों से सम्बन्धित है की वस्तुस्थिति जानने के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही सरकार से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त होगी मैं उस पर अपना विनिश्चय दूंगा। This is alright. No discussion on this. I disallow the Motion.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने शुरू किए)

02.48 .00 PM

2. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2173, 2252 के उत्तर सभा पटल पर रखे गये। तारांकित प्रश्न संख्या 2470 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा सम्बन्धित मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2471 से 2486 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 977,989 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1071 से 1077 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

03.00 PM

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखना :

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 24);
2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 25);
3. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 26);
4. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 27);
5. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 28);
6. हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण और विनियमन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 29); और
7. हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 30) ।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष की बात से संतुष्ट न होकर अपराह्न 3.04 बजे सदन से वॉक आऊट किया)

5. कागज़ात सभा पटल पर रखना :

श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश कोऑप्रेटिव सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2015 की धारा 109 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कोऑप्रेटिव सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2015

जोकि अधिसूचना संख्याः कोप-ए(3)-1/99 भाग-5 दिनांक 5.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.10.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

6. **अध्यादेशः**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.11.2015 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखा।

माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नियम -130 के अंतर्गत प्रस्ताव सदन में प्रस्तुतिकरण हेतु नहीं रखा गया।

(अपराह्न 03.10 बजे माननीय सदन की बैठक मंगलवार 1 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक स्थगित की गई)